डीजी–परिपत्र संख्या–13 /2021

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ: मार्च 22, 2021

विषयः–अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त अपराधियों का पता लगाकर इनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

———

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि अवैध आग्नेयास्त्र के प्रयोग से प्रदेश में घटित घटनाओं एवं अवैध आग्नेयास्त्र बनाने वाले समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध पर्याप्त कार्यवाही न होने के कारण इस प्रकार की बढ़ती घटनायें चिन्ता का विषय है। अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण करने वाले एवं अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण करने वालों को आग्नेयास्त्र के कलपुर्जे उपलब्ध कराने वालों तथा अवैध आग्नेयास्त्र का विपणन करने वाले अपराधियों का पता लगाकर थाना स्तर पर उनका अभिलेखीकरण नही किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कतिपय जनपदों में अवैध आग्नेयास्त्र के प्रयोग से जघन्य अपराध कारित हुये हैं।

2. आप सहमत होंगे कि अवैध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने वाले संगठित गिरोहों व अपराधियों का चिन्हांकन न होने पर उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पाता है, अतएव ऐसे अपराधियों एवं अवैध आग्नेयास्त्रों के बनाने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय सुझाव अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैं:–

- थाना स्तर पर इस आशय की गोपनीय सूचना संकलित की जाये कि किन स्रोतों से अवैध शस्त्र की आपूर्ति की जाती है।
- जनपदों में उन स्थलों को चिन्हित किया जाये जहॉ अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियॉ रहीं है अथवा वर्तमान में है।
- जनपदों में उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाये जो इस अवैध करोबार में पिछले 05 वर्षो में लिप्त रहें हैं।
- इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के डोजियर बनाये जायें तथा उनकी वर्तमान गतिविधियॉ ज्ञात कर सतर्क निगरानी की जाये।
- जिन स्थालों पर यह फैक्ट्रियॉ चलती है अथवा चल रही हैं उनकी सतत निगरानी कर कार्यवाही की जाये।
- अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण के लिए कच्चा माल/पार्ट्स आदि कहॉ से प्राप्त हो रहा है का पता लगाकर कार्यवाही की जाये।
- अवैध शस्त्र के साथ पकड़े गये व्यक्तियों से उनकी प्राप्ति के स्रोतों के सम्बन्ध में पूॅछताछ की जाये।
- जनपद में थाना स्तर पर इस आशय की गोपनीय सूचना प्राप्त की जाये कि किसके माध्यम से अवैध शस्त्र की आपूर्ति की जाती है।
- छद्‌म भेष धारण कर ऐसे वितरकों से खरीदारी की योजना बनाकर उन्हें ट्रैप किया जाये।
- इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जिनकी गिरफतारी नही की जा सकी है एवं वर्तमान में फरार चल रहे हैं, ऐसे अपराधियों के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 82 की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

Scanned by CamScanner

- यदि अपराधी द0प्र0सं0 की धारा 82 की कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय में आत्मसर्मपण नही करता है तो उसके विरूद्ध धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कार्यवाही करायी जाये।
- साथ ही यदि अभियुक्त न्यायालय/पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण नहीं करता है तो उसके विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 83 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही तत्काल की जाये।
- ऐसे अपराधियों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों की विवचेना शीघ्रता से पूर्ण कराकर गुणदोष के आधार पर मा0 न्यायालय प्रेषित किये जायें।
- आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त मा0 न्यायालय में अभियोग की प्रभावी पैरवी की जाये।
- जनपद के थानों पर इन अभियोगों की त्वरित विवेचना तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी थानाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

3. आप सभी से अपेक्षा है कि परिपत्र में अंकित बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें और अपने अधीनस्थ नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारी, थानाध्यक्षों व पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत कर उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करें।

मुझे विश्वास है के इराके प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रग एव उत्तरदायित्व का पूर्ण प्रदर्शन कर वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल होगें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी) 27/3/17

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner